इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अगस्त 2017—श्रावण 14, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2017

क्र. एफ-5-180-2015-दो-पचपन.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-78-2009-1-पचपन, दिनांक 25 मई, 2009 द्वारा ''मध्यप्रदेश में नर्सिंग महाविद्यालय एम.एस.सी. नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग, जनरल नर्सिंग स्कूल स्थापना नियम, 2009'' मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 196 दिनांक 25 मई 2009 में प्रकाशित किया गया है. उक्त नियमों के अन्तर्गत ''जनरल नर्सिंग स्कूल एवं बी.एस.सी. नर्सिंग स्कूल खोले जाने हेतु मापदण्ड'' के बिन्दु क्रमांक 17 के पश्चात् बिन्दु क्रमांक 18 एवं 19 निम्नानुसार जोड़ा जाता है:—

(18) निजी क्षेत्र के नर्सिंग संस्थानों में पाठयक्रमों को प्रारंभ करना, सीट वृद्धि करना तथा पुनर्निरीक्षण आदि के लिये शासन द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया का निर्धारण समय-समय पर आवश्यकता अनुसार कार्यकारी आदेश द्वारा किया जावेगा.

(19) भारतीय उपचर्या परिषद् (इंडियन नर्सिंग कौंसिल) के द्वारा समय-समय पर मापदण्डों में किये गये संशोधन लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.